

18.7.19.

वकील उभय पक्ष उप०। वकील अजी० को रेल्वो
की का० भु० की कार्यवाही वावत कई अवसर दिये
जाने के उपरान्त भी आज समय की मांग कर रहे
हैं। आदेशिका दि० 16.10.18 के अनुसार पत्रावली
में दि० 12.11.18 तक कार्यवाही नहीं करने पर
पत्रावली अवेट में रजिस्ट्रिज करने की चेतावनी
भी दी गई। अतः पत्रा अवेट में रजिस्ट्रिज ही
जानी है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर
से कम की जावे बाक जाणा कारखिल कफतर
है।

(5)

पु-सहाय कार्याधी
वदेन
सहाय अपील कार्याधी
वाराणसी-वाराणसी